<u>उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)</u>

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

प्रशासन / 120–ए(पार्ट) / 1333 इन्दौर, दिनांक 11 / 09 / 2020

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर में वर्ष **2020–21** के लिए साईकिल स्टैण्ड संचालन हेतु प्रायवेट एजेंसीस / फर्म / उम्मीदवार से प्रस्ताव आमंत्रित है। साईकिल स्टैण्ड संचालक, इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से दिनांक **28 / 09 / 2020** की शाम **4:30** बजे तक उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के केश अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क रूपये **100 / –** (सौ रूपये मात्र) जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक **01 / 10 / 2020** की दोपहर **01:30** बजे तक प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को ही सांयकाल **4:00** बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा शर्तों की जानकारी उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

सही / –

(अनिल वर्मा)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश,
खण्डपीठ इन्दौर

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

:: साईकिल स्टैण्ड संचालन की सामान्य शर्तें ::

(1) निविदा सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समय में प्राप्त होना चाहिए।

(2) वाहनों के स्टैण्ड पर रखने की दरें:–

क्रं.	वाहन	दर प्रतिदिन रूपये	दर प्रतिमाह रूपये
1	साईकिल	**2/–**	**40/–**
2	मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड दो पहिया वाहन	**5/–**	**100/–**
3	तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहन	**10/–**	**200/–**

(3) उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सदस्यों एवं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की सुरक्षा मे लगे अधिकारी/कर्मचारियों से कोई वाहन शुल्क वसूलनीय नही होगा, उनके लिए पास जारी करने की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।

(4) अर्नेस्ट मनी डिपाज़िट (EMD) रूपये **10,000/–** (दस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के नाम से निविदा के साथ जमा करना होगा।

(5) दिनांक **01/10/2020** को दोपहर **01:30** बजे तक रूपये **10,000/–** (दस हजार रूपये) अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करने पर ही अंतिम रूप से निविदा मान्य की जाकर साईकिल स्टैण्ड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने को अनुबंध की शेष राशि **3** दिन में जमा कर साईकिल स्टैण्ड संचालन की अनुमति दी जावेगी।

(6) वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध गृहिता की होगी।

(7) अधिकतम अधिमान्य निविदादाता के द्वारा शेष वार्षिक अनुबंध की राशि अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात कर द्वितीय अधिकतम दर से संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(8) अर्नेस्ट मनी रूपये **10,000/–** (दस हजार रूपये) की **5** गुना राशि रूपये **50,000/–** (पचास हजार रूपये) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबंध दर से उच्चतम अनुबंध दर की निविदायें विचारणीय होगी।

(9) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।

(10) प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

(11) वार्षिक अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

सही/–
(अनिल वर्मा)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश,
खण्डपीठ इन्दौर